कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

प्रकरण संख्या 50 / 2019 सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत

श्री रोहिताश कुमार सिलण पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत भोजासर पंचायत समिति भादरा, जिला हनुमानगढ़।

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भादरा।

--प्रत्यर्थी

आदेश

दिनांकः-17.10.2019

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भादरा के संबंध में प्राप्त हुई।

अपीलार्थी के अपील के अनुसार अपीलार्थी द्वारा यह अपील संयुक्त रूप से लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी-भादरा, लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति-भादरा व लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत-भोजासर के संबंध में की गई है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी-भादरा से बिन्दु संख्या 1 से 9 तक ग्राम पंचायत-भोजासर से सम्बन्धित सूचना चाही गई थी। अपीलार्थी को वांछित सूचना नहीं मिलने पर ग्राम पंचायत-भोजासर से सूचना दिलाये जाने हेतु अपीलार्थी द्वारा यह अपील की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 30.09.2019 के अनुसार रेस्पो. नं. 1 ता 3 ने किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। रेस्पो. नं. 1 ता 3 से सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अपील का अवलोकन करने से अपीलार्थी की यह अपील संयुक्त रूप से लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी-भादरा, लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति-भादरा व लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत-भोजासर के संबंध में होना पाई गई। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भादरा की हद तक दर्ज की गई है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भादरा से अपील में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 30.09.2019 के अनुसार एवं इसके साथ संलग्न लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत-भोजासर के पत्र क्रमांक 74 दिनांक 24.09.2019 का अवलोकन से पाया कि लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत-भोजासर ने अपीलार्थी को यह सूचना उपलब्ध करवाई कि सूचना के अधिकार अधिनियम 7(9) के तहत चाही गई सूचना अद्वेयता की श्रेणी में आती है। इस प्रकार अपीलार्थी का यह कथन सत्य नहीं है कि उसके प्रार्थना पत्र पर उसे कोई सूचना नही दी गई है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को इस अपील में और कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। उक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की यह अपील उक्तानुसार निर्णित की जाती है। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official